न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. हरफूल पुत्र कन्हैया जाति मीना, निवासी बड़ापुरा, पोस्ट भावली तहसील मासलपुर जिला करौली (फौत)

1/1 सुआबाई पत्नि हरफूल
1/2 ओमप्रकाश पुत्र हरफूल } जाति मीना निवासी बड़ापुरा
1/3 भूकेश पुत्र हरफूल

1/4 मानप्रकाश पुत्र हरफूल } जाति मीना निवासी बड़ापुरा हाल निवासी ए–7, दिल्ली
1/5 लीलाधर पुत्र हरफूल } एडमीशन फ्लैट, सिंघारा कलां, दिल्ली पिन–110052

1/6 गोरधन पुत्र हरफूल जाति मीना निवासी बड़ापुरा

1/7 शान्तिबाई पुत्री हरफूल } जाति मीना निवासी बड़ापुरा हाल निवासी ए–7, दिल्ली
1/8 रामेती पुत्री हरफूल } एडमीशन फ्लैट, सिंघारा कलां, दिल्ली पिन–110052

1/9 कलाबाई पुत्री हरफूल पत्नि गोकुलसिंह जाति मीना निवासी खौरपुरा तहसील बाड़ी जिला धौलपुर

1/10 ओमबाई पुत्री हरफूल पत्नि माखनसिंह जाति मीना निवासी खौरपुरा तहसील बाड़ी जिला धौलपुर

1/11 सुकमा पुत्री हरफूल पत्नि मुकेश जाति मीना निवासी खौरपुरा तहसील बाड़ी जिला धौलपुर

2. शाखा प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा मासलपुर – अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–31.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 849/3 रकबा 5–15 बीघा ग्राम भावली तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 849 रकबा 8–14 बीघा ग्राम भावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरकरण संख्या 281 से श्री हरफूल पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी बड़ापुरा के नाम जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में हरफूल पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी बड़ापुरा राहिन अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मासलपुर दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 849/3 रकबा 5–15 बीघा बाके ग्राम भावली को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2059–62, 2067–70, 2071–74 नामांतरकरण संख्या 281/12.02.71, 782, 1634/03.09.04 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1/2 व 1/3 उपस्थित आये लेकिन उनके द्वारा बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब पेश नहीं किया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना एवं बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं आये और ना ही उनके द्वारा कोई जवाब पेश किया गया। वक्त बहस अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक विला लगानी आराजी खसरा नंबर 849 रकबा 8–14 बीघा गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड है। नामांतरकरण संख्या 281 द्वारा श्री हरफूल पुत्र श्री कन्हैया जाति मीना निवासी बड़ापुरा तहसील मासलपुर के नाम जरिये आवंटन दर्ज की गई है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में श्री हरफूल पुत्र श्री कन्हैया जाति मीना निवासी बड़ापुरा तहसील मासलपुर के नाम अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि का आवंटन किया गया है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय की पालना अपेक्षित है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम भावली की आराजी खसरा नंबर 849/3 रकबा 5–15 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली